prescribed are reasonable for obtaining a freehold title on the land/flat.

Unauthorised construction in Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi

1550. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some allottees of DDA (SFS) ground floor flats in Sheikh Sarai, Phase-I have converted the open courtyard into a room ;

(b) whether it is also a fact that such conversion/construction has been undertaken without obtaining any permission from the DDA ;

(c) whether it is also a fact that no remedial action has been taken by DDA so far ;

(d) whether it is also fact that such unauthorised construction is jeopardising the safety, security and privacy of first floor allottees ; and

(e) if so, what action is being taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

"कम-लागत आवास" संबंधी प्रौद्योगिकी

1551. **श्री अजीत जोगी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कम लागत आवास" संबंधी प्रौद्योगिकी को विकसित करने में किये गये अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी का संवर्धन और प्रसार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे कि केन्द्रीय भवन अनुसंधान संगठन, सरंचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय भवन संगठन, हुडको और भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन परिषद के द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास क्रिया कलापों से विभिन्न कम लागत के भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है जिसे विभिन्न आवास और विकास एजेन्सियों के द्वारा बहुत सी आरम्भ की गई आवास परियोजनाओं में सफलापूर्वक अपनाया गया है ।

इन प्रौद्योगिकी को अपनाने से निम्नलिखित प्रभाव होंगे :—

(i) दुलर्भ और उर्जा गहन वाली सामग्री जैसे सीमेन्ट और स्टील की बचत ।

(ii) लकड़ी (टिम्बर) का संरक्षण ।

(iii) औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट का उपयोग जिससे पर्यावरण संकट कम होगा ।

(iv) स्थानीय सामग्री और कौशल के आधार पर कम लागत की निर्माण प्रौद्योगिक का विकास ।

(V) भवन निर्माण में उर्जा संरक्षण क्षेत्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग को विभिन्न अवरोधों के होते हुए भी अभी किया जाना है ।

(ग) कम लागत भवन निर्माण प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए उठाये गये कदमों में ये भी सम्मिलित हैं :—

—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य आवास और भवन निर्माण एजेन्सियों के विनिर्देशनों में कम लागत भवन प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करना और भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)